(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 07/2024

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2024/11

बउनवान

भैरूलाल पुत्र पांचूलाल जाति (कबाडी) बैरवा निवासी वार्ड नं. 15, पुराने अस्पताल के पास, छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

1. राशिद अली पुत्र हबीबुलला खान जाति मुसलमान निवासी ताज मंजिल राज टाकिज रोड, टोंक जिला टोंक
2. शाहिना बानो पुत्री हबीबुलला खान जाति मुसलमान निवासी ताज मंजिल राज टाकिज रोड, टोंक जिला टोंक
3. नसीम बानो पुत्री हबीबुलला खान जाति मुसलमान निवासी ताज मंजिल राज टाकिज रोड, टोंक जिला टोंक
4. रूबीना मुमताज पुत्री हबीबुलला खान पत्नि मुमताज रशीद खान जाति मुसलमान निवासी ताज मंजिल राज टाकिज रोड, टोंक जिला टोंक (राज.)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा, जिला बाराँ (राज.)

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबड़ा के प्रकरण संख्या – भू अभिलेख/उत्तराधिकार/2023/3282 निर्णय दिनांक 08.05.2023 की पालना में तस्दीकी इंतकाल नं0 2213 दिनांक 20.11.2023 वाके ग्राम छबड़ा तहसील छबडा जिला बारां की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक		(अपीलांट)
	2– अनुपस्थित	(रेस्पो. क्र. 1 ता 4)
	3– पेरोकार सरकार	(रेस्पोडेन्ट क्रम 5)

निर्णय दिनांक 06.08.2024

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा के प्रकरण संख्या– भू अभिलेख/उत्तराधिकार/2023/3282 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2023 की पालना में तस्दीकी इंतकाल नं0 2213 दिनांक 20.11.2023 वाके ग्राम छबड़ा तहसील छबडा जिला बारां की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 02.02.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 4 की तलबी दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में दिनांक 22.06.2024 को प्रकाशन करवाकर करवाई गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 4 इस न्यायालय में अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट क्रम 05 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की जाकर अपीलांट के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील मेमो एवं लिखित बहस के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि वाके माल छबड़ा की जमाबंदी संवत 2013 से 2016 के खाता संख्या 259 के खसरा नं. 1323 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा आराजी [illegible] भू–अभिधारी हमीतुल्ला खान था। उक्त आराजी माफी आराजी थी जो भू–सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 01.07.1958 को खालसा (रिज्यूम) करने के बाद माफी रिज्यूम आराजी से जागीरदार हमीदुल्ला के समस्त अधिकारों का पर्यवसान हो गया और उक्त माफी रिज्यूम आराजी [illegible] उप कृषक पांच्या बेटा मांग्या को खातेदारी दी। पांच्या की मृत्यु उपरांत उसका पुत्र भैरूलाल [illegible] रिकार्ड में खातेदार दर्ज हुआ, तब से उक्त आराजी पर भैरूलाल का कब्जा काश्त चला आ रहा है। [illegible] कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में रिज्यूम बाद हमीदुल्ला का नाम हबीबुल्ला दर्ज कर दिया। उक्त आराजी माफी रिजयूम होने के बाद माफी जागीर आराजी से हमीतुल्ला का नाम दाखिल नहीं किया। इस कारण उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। छबड़ा के ताहिर अली ने हबीबुल्ला के खाते दर्ज आराजी को हड़पने के लिए उक्त आराजी के 1/2 हिस्से आराजी का नामांतरण रेस्पो. क्र0 1 ता 4 के नाम खुलवा दिया, हबीबुल्ला के फर्जी वारिसानों के नाम से नामांतरण संख्या 2077 दिनांक 02.12.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.09.05 12:20:29 IST
Reason: SelfAttested

तस्दीक करवा लिया जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा पुलिस थाना, छबड़ा में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 78/2021 अंतर्गत धारा 420,467,468,471,120 बी भा.द.स. दर्ज करवाई जिस पर उक्त नामांतरण तहसील अटरू द्वारा दिनांक 18.12.2020 के आदेश से निरस्त कर दिया गया। उसके बाद तहसीलदार, छबड़ा द्वारा अपीलांट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना हीं प्रकरण संख्या – भू अभिलेख/उत्तराधिकार/2023/3282 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2023 में नामांतरण प्रक्रिया प्रावधानों एवं नियमों से असंगत आधारों पर निर्णय पारित कर मृतक हबीबुल्ला के तथा कथित वारिसान रेस्पो. क्रम 1 ता 4 के पक्ष में नामांतरण खोले जाने के आदेश पारित किये है जिसकी पालना में नामांतरण संख्या 2213 दिनांक 30.10.2023 से रेस्पो. क्रम 1 ता 4 का नाम संयुक्त खाते दर्ज हो गया। जब एक बार नामांतरण निरस्त कर दिया तो उन्हीं व्यक्तियों के नाम पुनः नामांतरण खोले जाने का कोई औचित्य नहीं है। निर्विवादित आराजी के नामांतरण की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को है। नामांतरण संख्या 2213 बाबत प्रस्तुत अपील के दर्ज करने से पहले पूर्व पीठासीन अधिकारी को एडमिशन बहस में न्यायिक दृष्टांत पेश किये थे जिनके बाद भी उक्त अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को तलब किया। उनकी तलबी नहीं होने पर उनकी प्रतिस्थापित तलबी दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करवा कर करवाई गई थी। विचारण के दौरान क्षेत्राधिकार से उत्पन्न आपत्ति का समाधान निम्न न्यायिक दृष्टांतों से होता है– डी.एन.जे. 2021(2) (Rev.) 1232 कौशल्या देवी बनाम बंशीलाल और डी.एन.जे. 2021(2) (Rev.) 793 अभयसिंह बनाम तेजकंवर। अतः इस न्यायालय को नामांतरण संख्या 2213 दिनांक 08.05.2023 की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2023 एवं नामांतरण संख्या 2213 दिनांक 20.11.2023 को निरस्त फरमा कर राजस्व रिकार्ड से हबीबुल्ला दाखिल खारिज करने के आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट क्रम 05 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट भैरूलाल को सम्मन जारी कर तलब किया गया। उसकी ओर से श्री नीरज कुमार माहेश्वरी अभिभाषक द्वारा दिनांक 10.03.2021 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2023 को निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई एवं जवाबदेही का पूर्ण अवसर मिला है। उक्त आदेश की अपील राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के खण्ड (एफ) के अंतर्गत निदेशक, भू अभिलेख के समक्ष अपील किए जाने का प्रावधान है और निदेशक, भू–अभिलेख की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त को प्रदत्त की गई है।

प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा ने रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट भैरूलाल को सम्मन जारी कर तलब किया गया। उसकी ओर से श्री नीरज कुमार माहेश्वरी अभिभाषक द्वारा दिनांक 10.03.2021 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2023 को निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई एवं जवाबदेही के लिए लगभग 02 वर्ष का समय मिला है जो पर्याप्त समय है। उक्त आदेश की अपील राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के खण्ड (एफ) के अंतर्गत निदेशक, भू अभिलेख के समक्ष अपील किए जाने का प्रावधान है और निदेशक, भू–अभिलेख की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त को प्रदत्त की गई है। फिर भी प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की विस्तृत बहस सुनी गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.09.05 12:20:29 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **06.08.2024** को मेरे द्वारा मेरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ